न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा, जिला कोटा (राज.)
पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
59 / 2023	20 / 06 / 2023	07 / 08 / 2023

उनवान

सुरेशचन्द पुत्र धन्नालाल, जाति मीना, निवासी कजल्या, तह. पीपल्दा, जिला कोटा ,राज.।

(वादी)

बनाम

(1.) धनराज पुत्र छगनलाल, जाति मीना, निवासी मुंगेना, तह. पीपल्दा, जिला कोटा ,राज.।

(2.) सुरेश कुमार पुत्र छगनलाल, जाति मीना, निवासी मुंगेना, तह. पीपल्दा, जिला कोटा ,राज.।

(3.) प्रताप पुत्र रतनी, जाति मीना, निवासी मुंगेना, तह. पीपल्दा, जिला कोटा, राज.

(4.) छगनलाल पुत्र रतनी, जाति मीना, निवासी मुंगेना, तह. पीपल्दा, जिला कोटा ,राज.।

(5.) पाना पुत्री रतनी, जाति मीना, निवासी मुंगेना, तह. पीपल्दा, जिला कोटा, राज.

(6.) मोडू पुत्र रतनी, जाति मीना, निवासी मुंगेना, तह. पीपल्दा, जिला कोटा, राज.।

(7.) राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तह. पीपल्दा, जिला कोटा, राज.।

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित अधिवक्तागण–

श्री भागवन्त सिंह आसावत – वकील वादी

श्री पुष्पेन्द्र सिंह हाड़ा – वकील प्रतिवादी कम–1 व 2

वाद अर्न्तगत धारा–88,89,53,188 आर.टी.एक्ट तथा काउन्टरक्लेम प्रतिवादी कम 1 व 2 अर्न्तगत धारा–53,88,89,91,92,92(क),188 आर. टी. एक्ट

–निर्णय–

वादी द्वारा वाद इस आशय का प्रस्तुत कर कथन किया कि– वाके ग्राम–मुंगेना, पटवार हलका–विनायका, भू.अभि.नि.क्षेत्र.–विनायका, तह.–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज. में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075 –78 खाता न0 नया 147 पुराना पर खसरा नम्बर–429 रकबा 2.18 हैक्टे0 कुल किता 1 कुल रकबा 2.18 हैक्टे0 तथा खाता न0 नया 146 पुराना 139 पर खसरा नम्बर 584 रकबा 1.83 हैक्टे0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.83 हैक्टे0 भूमि स्थित है जिसे वाद पत्र की आगे की मदों में विवादित आराजी कहा गया है। यह है कि विवादित आराजी में वादी 1/2 हिस्से का सहखातेदार कृषक है तथा मुताबिक हिस्सा काबिज काश्त है। विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त में होने के कारण वादी को विवादित भूमि में कृषि कार्य करने व भूमि का लगान पिलाई आदि जमा करवाने तथा अपने हिस्से की भूमि पर कृषि विकास कार्यों को करवाने में काफी परेशानियों का

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

सामना करना पड़ रहा है। वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 के मध्य विवादित आराजी को लेकर विवाद होता रहता है तथा वादी को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त नहीं करने देते हैं। प्रतिवादीगण से कई बार कहने पर भी विभाजन को तैयार नहीं है। इस कारण वादी को अधिकार प्राप्त है कि विवादित आराजी में अपने निहित 1/2 हिस्से पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये तथा विवादित आराजी में अपने निहित 1/2 हिस्से का विभाजन करवाये तथा अपना पृथक खाता पृथक लगान कायम करवाये तथा विभाजनानुसार कब्जा प्राप्त करे। यह है कि विवादित आराजी में वादी निहित हिस्सा का सहखातेदार काबिजी कृषक है। प्रतिवादी कम 1 व 2 का कब्जा विवादित आराजी पर 1/2 हिस्सा पर चला आ रहा है तथा प्रतिवादी कम 3 ता 6 का कोई कब्जा काश्त विवादित आराजी पर कभी नहीं रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1 व 2 से विवादित आराजी को विभाजित करवाने हेतु कई बार निवेदन करने पर भी विभाजन को तैयार नहीं हो रहे है तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि की काश्त में बाधायें डाल रहे हैं। प्रतिवादी कम 1 व 2 ने दिनांक–27/05/2023 को विवादित आराजी को बिना विभाजन बेचान करने तथा वादी को काश्त नहीं करने देने की धमकी दी है तथा प्रतिवादीगण ताकत के बल पर विवादित आराजी पर से वादी को बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादी कम 1 ता 6 आये दिन वादी के हिस्से की भूमि में उनके शांति पूर्ण कब्जा काश्त में मदाखलत व मजाहमत करते रहते हैं तथा विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान आदि प्रकार से बिना विभाजन करवाये हस्तान्तरित करने पर आमादा है। इस कारण प्रतिवादी कम 1 ता 6 को स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है। यह है कि प्रतिवादी कम 7 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है, प्रतिवादी कम 7 राजस्थान राज्य का विधिक प्रतिनिधि हैं जिनके विरूद्ध वाद लाने हेतु 80 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत मियादी 60 दिवसीय नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु वाद की आवश्यक प्रकृति को देखते हुये वाद 80(2) सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति संलग्न वादपत्र है। यह है कि वाद कारण दिनांक–27/05/2023 को प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा विवादित आराजी का विभाजन करवाने से इन्कार करने तथा वादी को शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में अवरोध उत्पन्न करने तथा कब्जा करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। यह है कि वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। यह है कि वाद उचित कोर्ट फीस पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित फरमायी जावे कि विवादित आराजी ग्राम–मुंगेना, पटवार हलका–विनायका, भू.अभि. नि.क्षेत्र.–विनायका, तह.–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज. में खाता न0 नया 147 पुराना पर खसरा नम्बर–429 रकबा 2.18 हैक्टे0 कुल किता 1 कुल रकबा तथा खाता न0 नया 146 पुराना 139 पर खसरा नम्बर 584 रकबा 1.83 हैक्टे0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.83 हैक्टे0 में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा विवादित आराजी पर से प्रतिवादी कम 3 ता 6 का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी कम 1 व 2 के 1/2 हिस्से व वादी के निहित 1/2 हिस्से का विभाजन किया जाकर पृथक खाता पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे पत्थरगढी करवायी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

जाकर वादी को विभाजन अनुरूप काबिज करवाया जावे तथा उसका राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। यह है कि प्रतिवादीकम 1 ता 7 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह न तो स्वयं न ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विवादित आराजी में वादी के निहित 1/2 हिस्से में वादी के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे तथा विवादित आराजी को विना विभाजन करवाये खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान आदि नहीं करे। वादी को काश्त करने में बाधायें उत्पन्न नहीं करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय श्रीमान उचित समझें पारित फरमायें।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये रजिस्टर्ड एडी सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी कम 3 ता 6 के जर्ये रजि0 एडी तामील नहीं हो पाने के कारण प्रतिवादी कम 3 ता 7 की जर्ये समाचार पत्र तामील करवायी गयी प्रतिवादी कम 1 व 2 जर्ये अधिवक्ता उपस्थित हुऐ प्रतिवादी कम 3 ता 7 समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से सूचना किये जाने के उपरान्त भी वावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीकम 1 ता 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये।

प्रतिवादी कम 1 व 2 की ओर से वादी के वादपत्र का निम्न जवाब एवं काउन्टरक्लेम प्रस्तुत कर कथन किया कि –यह कि वादपत्र की मद न0 1 में मुताबिक राजस्व रिकार्ड भूमि होना स्वीकार है। यह कि वादपत्र की मद न0 2 स्वीकार है। यह कि वादपत्र की मद न0 3 जिस प्रकार लिखी गयी है अस्वीकार है। यह कि वादपत्र की मद न0 4 विधिक रूप से विचारणीय है। यह कि वादपत्र की मद न0 5 में जिस प्रकार लिखी गयी है अस्वीकार है। यह कि वादपत्र की मद न0 6 विधिक रूप से विचारणीय है। यह कि वादपत्र की मद न0 7 विधिक रूप से विचारणीय है। प्रार्थना वादी जिस प्रकार लिखी गयी है अस्वीकार है अतः वाद वादी द्वारा जिस प्रकार अनुतोष चाहा गया है अस्वीकार है। प्रतिवादी कम 1 व 2 ने विशेष कथन मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम–मुंगेना, पटवार हलका–विनायका, भू.अभि.नि.क्षेत्र.–विनायका, तह.–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज. में सेटलमेन्ट से पूर्व गत खसरा नम्बर–149 रकबा–11 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर–206 रकबा–10 बिस्वा, खसरा नम्बर–290 रकबा–18 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर–259 रकबा–14 बीघा 10 बिस्वा, भूमि स्थित है। यह कि विवादित आराजी गत खसरा नम्बर–290 रकवा–18 बीघा 2 बिस्वा, के बाद सेटलमेन्ट हाल ख0न0 584 रकबा 1.83 हैक्टे0 तथा गत खसरा नम्बर–259 रकबा–14 बीघा 10 बिस्वा, के बाद सेटलमेन्ट हाल ख0न0 429 रकबा–2.18 हैक्टे0 कायम किये गये। यह कि विवादित आराजी मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075–2078 हाल ख0न0 429 रकबा–2.18 हैक्टे0 वादी व प्रतिवादी कम 3 ता 6 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा हाल ख0न0 584 रकबा–1.83 हैक्टे0 तथा वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 2 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, उपरोक्त वर्णित आराजी को काउन्टर क्लेम की आगे की मदों में विवादित आराजी कहा गया। यह कि विवादित आराजी गत खसरा नम्बर–290 रकबा–18 बीघा 2 बिस्वा, प्रतिवादी कम 3 ता 6 की नानी रघुनाथी के खातेदारी में

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

दर्ज थी। विवादित आराजी गत खसरा नम्बर–290 रकबा–18 बीघा 2 बिस्वा, पर प्रतिवादी कम 1 व 2 के दादा शंकरलाल जी का कब्जा काश्त संवत 2012 से पूर्व अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रर्वतन 15/10/1955 से पूर्व से ही चला आ रहा था तथा शंकरलाल जी बतौर शिकमी काश्तकार (उप कृषक) विवादित आराजी पर काबिज काश्त थे तथा शंकर लाल जी की मृत्यु के वाद प्रतिवादी कम 1 व 2 के पिता छगनलाल जी काबिज काश्त रहे तथा छगनलाल जी की मृत्यु के बाद प्रतिवादी कम 1 व 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। यह कि विवादित आराजी के खातेदार रघुनाथी की मृत्यु हो जाने के कारण विवादित आराजी पर फफा पुत्री व रतनी पुत्री का नाम दर्ज हुआ किन्तु फफा ने विवादित आराजी पर अपना नाम दर्ज होने का लाभ उठा कर विवादित आराजी ख0न0 584 रकबा 1.83 हैक्टे0 तथा ख0न0 429 रकबा–2.18 हैक्टे0 में दर्ज अपने हिस्से का बेचान वादी को कर दिया जबकि फफा का कब्जा काश्त विवादित आराजी पर नहीं था, फफा को ख0न0 584 रकबा 1.83 हैक्टे0 भूमि को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी को किये गये उपरोक्त बेचान के बाद वादी हाल ख0न0 429 पर ही काबिज काश्त है तथा हाल ख0 न0 ख0न0 429 को ही अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। यह कि प्रतिवादी कम 3 ता 6 व उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त विवादित आराजी गत खसरा नम्बर–290 रकबा–18 बीघा 2 बिस्वा, पर कभी नहीं रहा है तथा प्रतिवादी कम 3 ता 6 के कब्जा प्राप्त करने की मियाद अवधि बाधित हो चुकी है तथा प्रतिवादी कम 3 ता 6 के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है प्रतिवादी कम 1 व 2 विवादित आराजी के खातेदार कृषक हो चुके है। इस कारण विवादित आराजी पर से प्रतिवादी कम 3 ता 6 का नाम हटाया जाना आवश्यक हो गया है। यह कि विवादित आराजी पर प्रतिवादी कम 1 व 2 का कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रर्वतन से पूर्व बतौर उप कृषक चले आने के कारण प्रतिवादी कम 1 व 2 विवादित आराजी के विधि के प्रर्वतन से (बाय द आपरेशन आफ लॉ) विवादित आराजी के खातेदार के खातेदार कृषक हो चुके हैं। इस कारण प्रतिवादी कम 1 व 2 को अधिकार प्राप्त है कि वह विवादित आराजी गत खसरा नम्बर–290 रकबा–18 बीघा 2 बिस्वा, के हाल ख0न0 584 रकबा 1.83 हैक्टे0 पर से वादी का नाम हटवाये इस हेतु प्रतिवादी कम 1 व 2 अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा विवादित आराजी में अपने हिस्से का विभाजन करवाने का अधिकारी है। (8.) यह कि विवादित आराजी पर प्रतिवादी कम 1 व 2 का कब्जा काश्त अपने पूर्वजों के समय से ही चला आ रहा है। किन्तु विवादित आराजी प्रतिवादी कम 3 व 6 के खाते दर्ज होने कारण प्रतिवादी कम 3 ता 6 प्रतिवादी कम 1 व 2 के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में बाधाये उत्पन्न करता रहता है इस कारण प्रतिवादी कम 3 व 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया हैं। यह कि काउन्टर क्लेम का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। यह कि काउन्टर क्लेम उचित कोर्ट फीस पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः काउन्टरक्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी कम 1 व 2 के पक्ष में तथा वादी व प्रतिवादीगण के पक्ष में निम्न आशय की डिक्री पारित फरमायी जावे कि– विवादित आराजी वाके मुंगेना, पटवार हलका–विनायका, भू.अभि.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

नि.क्षेत्र.–विनायका, तह.–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज ख0न0 584 रकबा 1.83 हैक्टे0 भूमि पर से वादी का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी कम 1 व 2 को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। यह है कि विवादित आराजी वाके ग्राम–मुंगेना, पटवार हलका–विनायका, भू.अभि.नि.क्षेत्र. –विनायका, तह.–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज ख0न0 429 रकबा–2.18 हैक्टे0 भूमि में से प्रतिवादी कम 3 ता 6 का नाम हटाया जाकर वादी के खाते दर्ज किया जावे उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। यह है कि वादी व अन्य प्रतिवादीकम 3 ता 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह न तो स्वयं न ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विवादित आराजी ग्राम– मुंगेना, पटवार हलका–विनायका, भू.अभि.नि.क्षेत्र.– विनायका, तह.– पीपल्दा, जिला–कोटा, राज ख0न0 584 रकबा 1.83 हैक्टे0 भूमि में प्रतिवादी कम 1 व 2 के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करे, प्रतिवादी कम 1 व 2 को अवैधानिक तरीके से बेदखल नहीं करे तथा विवादित आराजी को किसी प्रकार हस्तान्तरित व खुर्द–बुर्द ,रहन, बेचान आदि नहीं करे।

वादी ने प्रतिवादी कम 1 व 2 के काउन्टरक्लेम का जवाबुलजवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादी कम 1 व 2 का काउन्टरक्लेम स्वीकार किये जाने में तथा विवादित आराजी वाके मुंगेना, पटवार हलका–विनायका, भू.अभि.नि.क्षेत्र.–विनायका, तह. –पीपल्दा, जिला–कोटा, राज ख0न0 584 रकबा 1.83 हैक्टे0 भूमि पर से वादी का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी कम 1 व 2 को खातेदार कृषक घोषित किया जाने में तथा विवादित आराजी वाके ग्राम–मुंगेना, पटवार हलका–विनायका, भू.अभि.नि.क्षेत्र. –विनायका, तह.–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज ख0न0 429 रकबा–2.18 हैक्टे0 भूमि में से प्रतिवादी कम 3 ता 6 का नाम हटाया जाकर वादी के खाते दर्ज किया जाने में वादी को कोई आपत्ति नहीं होना कथन किया तथा तदनुसार डिक्री जारी करने में वादी को कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

वादी के वाद व प्रतिवादीकम 1 व 2 के काउन्टरक्लेम व वादी के जवाबुलजवाब के अवलोकन से तथा वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1 व 2 के काउन्टरक्लेम स्वीकार कर जवाबुलजवाब में काउन्टरक्लेम स्वीकार कर लिए जाने के उपरान्त पत्रावली में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद्यक प्रकट नहीं होता है ऐसी स्थिति में वादी का वाद व काउन्टरक्लेम विवाद्यक के अभाव में वाद व काउन्टरक्लेम इसी स्तर पर निर्णय किये जाने योग्य है। इस बारे में सिविल प्रकिया संहिता में आदेश 15 नियम 1 में प्रावधान है कि– **Code of Civil Procedure, 1908 *[ORDER XV] Disposal of the Suit at the first hearing 1. Parties not at issue.-(1) Where at the first hearing of a suit it appears that the parties are not at issue on any question of law or of fact, the Court may at once pronounce judgment.** [आदेश 15 नियम 1 सी– .सी .पी . जहाँ वाद की प्रथम सुनवाई में यह प्रतीत होता है कि विधि के या तथ्य के किसी प्रश्न पर पक्षकारो में विवाद नहीं है वहाँ न्यायालय तुरन्त ही निर्णय सुना सकेगा।]

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

बहस अधिवक्ता एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, प्रतिवादीकम 1 व 2 द्वारा अपने प्रतिदावे व काउन्टरक्लेम के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात व वादी की स्वीकारोक्ति से प्रकट व प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी कम 1 व 2 का कब्जा काश्त विवादित आराजी गत खसरा नम्बर–290 रकबा–18 बीघा 2 बिस्वा, जो कि प्रतिवादी कम 3 ता 6 की नानी रघुनाथी के खातेदारी में दर्ज थी। जिस पर प्रतिवादी कम 1 व 2 के दादा शंकरलाल जी का कब्जा काश्त संवत 2012 से पूर्व अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रर्वतन 15/10/1955 से पूर्व से ही चला आ रहा है तथा शंकरलाल जी बतौर शिकमी काश्तकार (उप कृषक) विवादित आराजी पर काबिज काश्त थे जिसकी पुष्टि प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व गिरदावरियों से होती है तथा शंकर लाल जी की मृत्यु के बाद छगनलाल जी तथा छगनलाल जी की मृत्यु के बाद प्रतिवादी कम 1 व 2 का कब्जा काश्त होना वादी द्वारा स्वीकार किया गया है तथा दस्तावेजों से प्रमाणित है। प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दियों व अन्य दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि विवादित आराजी की पूर्व खातेदार रघुनाथी की मृत्यु हो जाने के बाद विवादित भूमि पर पुत्री फफा व रतनी का नाम दर्ज हुआ था किन्तु फफा ने अपने हिस्से की भूमि पर अपना नाम दर्ज होने का लाभ उठा कर ख0न0 584 रकबा 1.83 हैक्टे0 तथा ख0न0 429 रकबा–2.18 हैक्टे0 में दर्ज अपने हिस्से का बेचान वादी को कर दिया गया है जबकि फफा का कब्जा काश्त 584 पर नहीं था, फफा को ख0न0 584 रकबा 1.83 हैक्टे0 भूमि में अपने हिस्से को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उपरोक्त बेचान के बाद वादी हाल ख0न0 429 पर ही काबिज काश्त है तथा उपरोक्त ख0न0 भूमि को अपने खाते में दर्ज करवाने पर सहमत है तथा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज व गिरदावरियों व वादी की स्वीकारोक्ति से प्रमाणित है कि विवादित आराजी गत खसरा नम्बर–290 रकबा–18 बीघा 2 बिस्वा, के हाल ख0न0 584 रकबा 1.83 हैक्टे0 पर प्रतिवादी कम 1 व 2 का कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रर्वतन से पूर्व बतौर उप कृषक होना प्रमाणित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के अनुसार–

Rajasthan Tenancy Act, 1955 1Rajasthan Act No. 3 of 1955

{CHAPTER IIIA} Conferment of Rights On certain Sub-tenants and Tenants of Khudkasht on payment of compensation 19. Conferment of rights on certain tenants of Khudkasht and sub tenants—

(1) Every person who, at the commencement of this Act— 15 Vide Raj Act No. 27 of 1956. 16 Substituted by sec 2 of Raj. Act No. 7 of 1959.

(a) was entered in the annual registers then current as a tenant of Khudkasht or sub-tenant of land other than grove land, or

(b) was not so entered but was a tenant of Khudkasht or sub-tenant of land other than grove land.

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

उपरोक्तानुसार दस्तावेजों के विवेचन से प्रतिवादी कम 1 व 2 विवादित आराजी गत खसरा नम्बर–290 रकबा–18 बीघा 2 बिस्वा, के हाल ख0न0 584 रकबा 1.83 हैक्टे0 भूमि के विधि के प्रर्वतन से (बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ) खातेदार के खातेदार कृषक हो चुके हैं। इसी कम में वैसे भी प्रतिवादी कम 3 ता 6 व उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त विवादित आराजी गत खसरा नम्बर–290 रकबा–18 बीघा 2 बिस्वा, पर कभी नहीं होना प्रमाणित है तथा प्रतिवादी कम 3 ता 6 के कब्जा प्राप्त करने की मियाद अवधि बाधित हो चुकी है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–63(1)(4) के प्रावधानों के अर्न्तगत प्रतिवादी कम 3 ता 6 के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63. Tenancy when extinguished— (1) The interest of tenant in his holding or a part thereof as the case may be. shall be extinguished (i) When he dies leaving no heir entitled to merit in accordance with the provisions of this Act: (ii) when he surrenders or abandons it in accordance with the provisions of this Act or 30Rajasthan land revenue Act: (iii) when his land has been acquired under the Land Acquisition Act. 1894 (Central Act No. I of 1894) **(iv) when he has been deprived of possession and his right to recover possession is barred by limitation:** (v) when he has been ejected therefrom in accordance with the provisions of this Act. (vi) when he acquires or succeeds to all the rights therein of a landholder or the landholder inherits or otherwise acquires the same. (vii) when he sells or makes a gift thereof in accordance with the provisions of this Act. or (viii) if he migrates from India to a foreign - country without obtaining a valid passport or without lawful authority: (ix) if the allotment of land is cancelled or the land is ordered to be resumed under the provisions of they Rajasthan Land Revenue-Act.

उपरोक्त विवेचन से वादी का वाद व प्रतिवादी कम 1 व 2 का काउन्टरक्लेम स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ग्राम–मुंगेना, पटवार हलका–विनायका, भू.अभि.नि.क्षेत्र.–विनायका, तह.–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज ख0न0 429 रकबा–2.18 हैक्टे0 पर से प्रतिवादी कम 3 ता 6 का नाम हटाया जाना उचित है तथा वादी उपरोक्तानुसार खातेदार कृषक घोषित होने योग्य है तथा ग्राम–मुंगेना, पटवार हलका–विनायका, भू.अभि.नि.क्षेत्र.–विनायका, तह.–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज ख0न0 584 रकबा 1.83 हैक्टे0 भूमि पर से वादी का नाम हटाया जाना व प्रतिवादी कम 1 व 2 का नाम दर्ज किया जाकर प्रतिवादी कम 1 व 2 उपरोक्तानुसार खातेदार कृषक घोषित किये जाने योग्य है ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 का काउन्टरक्लेम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि–(1.) ग्राम–मुंगेना, पटवार हलका–विनायका, भू.अभि.नि.क्षेत्र.–विनायका, तह.–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज ख0न0 584 रकबा 1.83 हैक्टे0 भूमि पर से वादी का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी कम 1 व 2 को खातेदार

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

कृषक दर्ज किया जावे तदानुसार प्रतिवादी कम 1 व 2 को ग्राम–मुंगेना, पटवार हलका–विनायका, भू.अभि.नि.क्षेत्र.–विनायका, तह.–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज ख0न0 584 रकबा 1.83 हैक्टे0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। (2.) ग्राम–मुंगेना, पटवार हलका–विनायका, भू.अभि.नि.क्षेत्र.–विनायका, तह.–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज ख0न0 429 रकबा–2.18 हैक्टे0 भूमि पर से प्रतिवादी कम 3 ता 6 का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार कृषक दर्ज किया जावे तदानुसार वादी को ग्राम–मुंगेना, पटवार हलका–विनायका, भू.अभि.नि.क्षेत्र.–विनायका, तह.–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज ख0न0 429 रकबा–2.18 हैक्टे0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नानुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक–07/08/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
सहायक कलेक्टर
इटावा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

मूल वाद में डिक्री

आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी

अज अदालत सहायक कलेक्टर इटावा जिला कोटा राज0

उनवान

सुरेशचन्द पुत्र धन्नालाल, जाति मीना निवासी कजल्या तह.–पीपल्दा जिला कोटा राज.।

बनाम (वादी)

(1.) धनराज पुत्र छगनलाल, जाति मीना, निवासी मुंगेना, तह. पीपल्दा, जिला कोटा ,राज.।

(2.) सुरेश कुमार पुत्र छगनलाल, जाति मीना, निवासी मुंगेना, तह. पीपल्दा, जिला कोटा ,राज.।

(3.) प्रताप पुत्र रतनी, जाति मीना, निवासी मुंगेना, तह. पीपल्दा, जिला कोटा, राज.

(4.) छगनलाल पुत्र रतनी, जाति मीना, निवासी मुंगेना, तह. पीपल्दा, जिला कोटा ,राज.।

(5.) पाना पुत्री रतनी, जाति मीना, निवासी मुंगेना, तह. पीपल्दा, जिला कोटा, राज.

(6.) मोडू पुत्र रतनी, जाति मीना, निवासी मुंगेना, तह. पीपल्दा, जिला कोटा, राज.।

(7.) राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तह. पीपल्दा, जिला कोटा, राज.।

(प्रतिवादीगण)

<u>वाद अर्न्तगत धारा–88,89,53,188 आर.टी.एक्ट तथा काउन्टरक्लेम प्रतिवादी कम 1 व 2 अर्न्तगत धारा–53,88,89,91,92,92(क),188 आर. टी. एक्ट</u>

मिसल नं0 59 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि– वाद वादी तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 का काउन्टरक्लेम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि–(1.) ग्राम–मुंगेना, पटवार हलका–विनायका, भू.अभि.नि.क्षेत्र.–विनायका, तह.–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज ख0न0 584 रकबा 1.83 हैक्टे0 भूमि पर से वादी का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी कम 1 व 2 को खातेदार कृषक दर्ज किया जावे तदानुसार प्रतिवादी कम 1 व 2 को ग्राम–मुंगेना, पटवार हलका–विनायका, भू.अभि.नि.क्षेत्र. –विनायका, तह.–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज ख0न0 584 रकबा 1.83 हैक्टे0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। (2.) ग्राम–मुंगेना, पटवार हलका–विनायका, भू.अभि.नि.क्षेत्र.–विनायका, तह.–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज ख0न0 429 रकबा–2.18 हैक्टे0 भूमि पर से प्रतिवादी कम 3 ता 6 का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार कृषक दर्ज किया जाता है। तदानुसार वादी को ग्राम–मुंगेना, पटवार हलका–विनायका, भू.अभि.नि.क्षेत्र.–विनायका, तह.–पीपल्दा, जिला–कोटा, राज ख0न0 429 रकबा–2.18 हैक्टे0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज 07.08.2023 को जारी किया जाता है।

मिलान स्टाम्प	अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	रूपये
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
मेहनताना वकील	0	0	मेहनताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

(अंजना सेहरावत)
सहायक कलेक्टर
इटावा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा